न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 373/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 166/2026, आरक्षी केन्द्र बालोतरा,
CNR : RJBA010010352026

विनोद कुमार पुत्र मदनलाल, उम्र 33 वर्ष निवासी सुनारों की नोहरे के पास बाड़मेर, पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 166/2026, पुलिस थाना बालोतरा, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री जोगेन्द्र सिंह सोढ़ा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 09.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में संदेह के आधार पर संलिप्त किया गया है । प्रार्थी ने परिवादी से कोई टीवी खरीद करने हेतु

बातचीत नहीं की, न ही उसने स्कैनर क्लोन कर रुपये भेजना झूठा बताकर टीवी प्राप्त की है ।

3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी का परिवादी से राजीनामा हो चुका है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध परिवादी से छल कर टीवी प्राप्त करने हेतु QR कोड का फर्जी क्लोन तैयार करने का अरोप है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. परिवादी स्वयं उपस्थित है जिसने प्रार्थी से राजीनामा होना जाहिर करते हुए जमानत आवेदन स्वीकार करने में आपत्ति जाहिर नहीं की है ।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	वर्तमान स्थिति
–	–	–	–	–	–

7. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने परिवादी को टीवी क्रय करना फोन पर बताया तथा उसे ऑनलाईन पेमेंट करने हेतु QR कोड भेजने का कहा। प्रार्थी ने QR कोड का क्लोन कर परिवादी को रुपये भेजना बताया जबकि परिवादी के खाते में टीवी का मूल्य 31,700/– रुपये जमा नहीं हुए ।

8. परिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित है जिसकी पहचान अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार ने की, ने प्रार्थी से राजीनामा होना जाहिर करते हुए जमानत आवेदन स्वीकार करने में आपत्ति होना नहीं बताया है । प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराधों में से धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता शमनीय अपराध से संबंधित है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचराणीय अपराध से संबंधित है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। अतः इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त विनोद कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

10. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

HITESH MANGNANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Date: 2026.07.10 10:04:08 +0530